पंजीकृत

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र–2, समुदाय केन्द्र,
प्रीति बिहार, नई दिल्ली।

पत्रांक/पी0–4/NOC/ /2018–19 दिनांकः 11/06/2018

विषयः– टी0आर0एस0 इण्टरनेशनल स्कूल, सराय अकिल, कौशाम्बी को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश शिक्षा (7) अनुभाग, लखनऊ के पत्र संख्या–1916/15–7–09–1(299)/2007 दिनांक 14 जुलाई, 2009 द्वारा सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु दिनांक 22.05.2018 को आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुयी जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि टी0आर0एस0 इण्टरनेशनल स्कूल, सराय अकिल, कौशाम्बी को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाय जिसके अनुपालन में निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाता है–

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनमें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेण्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजूकेशन, नई दिल्ली/कौंसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इग्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगें। साथ ही यह भी प्रतिबन्धित किया जाता है कि सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त होने पर संस्था अपने प्रबन्ध समिति के प्रस्तावानुसार यू0पी0 बोर्ड द्वारा निर्गत मान्यता वापस कर लेगी।
5. संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगें।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त के लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
7. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगें, संस्था उनका पालन करेगी।
8. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र एवं पंजिकाओं में रखा जायेगा।
9. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

D:\NOC\NOC Latter\TRS international.doc

10. सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता से युक्त अध्यापक नियुक्त किये जायेंगे।
11. संस्था द्वारा सोसाइटी के बाईलाज में यह भी प्राविधान किया जायेगा कि उक्त शर्तों में बिना शासन के पूर्वानुमोदन के कोई परिवर्तन/परिवर्द्धन/संशोधन नही किया जायेगा।
12. सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित कर्मचारियों की सेवा नियमावली का पालन किया जायेगा।
13. छात्र/छात्राओं से वही शुल्क लिया जायेगा जिन मदों में शुल्क अनुमन्य है।
14. शिक्षण कक्ष/प्रयोगशाला/पुस्तकालय/कार्यालय कक्ष मानक के अनुरूप ही रखे जायेंगे।
15. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में एक ही परिवार बाहुल्य नहीं रखा जायेगा।
16. विद्यालय द्वारा ग्राम समाज की भूमि तथा पनघट, गोचर, तालाब, खलिहान का अतिक्रमण नहीं किया जायेगा।
17. संस्था के सचिव द्वारा यह अवगत कराया गया है कि टी0आर0एस0 पब्लिक इण्टर कालेज, सराय अकिल, कौशाम्बी की पत्रावली जिला विद्यालय निरीक्षक के यहाँ जमा की गयी है परन्तु मान्यता की कोई जानकारी नहीं है, यदि मान्यता प्राप्त हो जाती है तो विद्यालय प्रबन्ध समिति उस मान्यता को वापस कर देगी। अतः प्रबन्ध समिति अपने इस प्रस्तावानुसार कार्यवाही करने हेतु उत्तरदायी होगी।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा एवं सम्बद्धता के पूर्व संस्था में अप्रशिक्षित शिक्षकों के स्थान पर प्रशिक्षित अध्यापक रखें जायें तथा संस्था के कर्मचारियों को जो राज्य सरकार से कम वेतन दिया जा रहा हो उसे पूर्ण किया जाये।

यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नही किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

श्रीमती (माया निरंजन)
संयुक्त शिक्षा निदेशक,
इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद

पृष्ठांकन संख्या/पी0–4/NOC/1999-2006/2018–19 तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी, कौशाम्बी।
3. शिक्षा निदेशक (मा0), उत्तर प्रदेश, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
4. निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक, कौशाम्बी को इस निर्देश के साथ कि वह प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव के अनुसार माध्यमिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद को कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रेषित करेंगे।
6. प्रबन्धक, टी0आर0एस0 इण्टरनेशनल स्कूल, सराय अकिल, कौशाम्बी।
7. गार्ड फाईल।

श्रीमती (माया निरंजन)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद

D:\NOC\NOC Latter\TRS International.doc